Dogri Bulletin from Jammu Radio

2135. SHRI BALDEV SINGH JASROTHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal lying with the Ministry for the increase of Dogri Bulletin for rural area from Jammu Radio; and

(b) whether the required strength of 6 persons is maintained in case of Dogri Unit?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir; there is no proposal to increase the duration of the Dogri news bulletins broadcast from Radio Kashmir, Jammu.

(b) The sanctioned strength of staff in the Regional News Unit at Radio Kashmir, Jammu, is five. All the five incumbents are in position at present.

Selection of Members of Advisory Board of A.I.R., Kurseong

2136. SHRI K. B. CHETRI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the names of the Advisory Board members of A.I.R., Kurseong;

(b) when Government propose to reconstitute the Board; and

(c) the criteria of selection of members?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b). The question of constitution of the Programme Advisory Committees at A.I.R. Stations (including Kurseong) is under consideration.

(c) The members selected represent cultural, linguistic and social interests of the listening area of the A.I.R. station. The knowledge and expertise of the members in advising on the qualitative improvement of A.I.R. programmes is also taken into consideration.

भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिये सरकारी कर्मचारियों की पात्रता

2137. **श्री महीलाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को पात्र बनाने हेतु पांच वर्ष के अनुभव और 35 वर्ष की आयु का उपबन्ध करने और उनके लिए कुछ पदों का आरक्षण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अंतिम निणय कब तक लिया जायेगा ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को भी तदनुरूप छूट दी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उनके लिए किये जाने वाले प्रावधानों की रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । फिर भी, सरकार ने राज्य सिविल सेवा तथा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को क्रमश: भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए सीमा की, प्रत्येक संवर्ग में वरिष्ठ ड्यूटी पदों के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का निर्णय किया है । इसके परिणामस्वरूप पदोन्नति की रिक्तियों में हुई वृद्धि को विद्यमान नियमों के अनुसार भरा जाएगा ।